न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–180/2010

मिथिलेश कुमार चौधरी वगैरह.....वादीगण

बनाम

रामबलि राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

25.07.24 अभिलेख आज वादी की ओर से धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–09.05.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी सं0–12 द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–25.07.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी साक्ष्य दिनांक–04.03.2024 को बन्द किया गया है तत्पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया, परन्तु वादी की ओर से दस्तावेजीय साक्ष्य देना था। वादी के अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं हो सके, चूँकि वह बाहर गए हुए थे जिसके कारण वादी साक्ष्य देने मे असमर्थ हो गया। दस्तावेजीय साक्ष्य नहीं देने पर वदी को अपूर्णीय क्षति होगी अगर न्यायालय के आदेश दिनांक–04.03.2024 को वापस लेती है तो वादी अपना साक्ष्य देने में कोई देरी नहीं करेगा। वादी को अपना साक्ष्य देने का एक अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। वादी ने जानबूझकर कोई भूल नहीं किया है और साक्ष्य बन्द होने से उन्हें काफी नुकसानी है। अतः आवेदन को स्वीकृत करते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–04.03.2024 को वापस लेते की कृपा की जाए।

प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है और वादी धारा–151 सी0पी0सी0 का राहत पाने के अधिकारी नहीं है। एवं खारिज किए जाने योग्य है। वादी ने लंबे समय से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा जब न्यायालय द्वारा पहली बार दिनांक–01.05.2027 को वादी साक्ष्य लाने का निर्देश दिया गया तब वादी ने अगली दस तिथियों तक सिर्फ हाजरी दाखिल किया लेकिन न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए और न ही कोई समयावेदन दाखिल किए, दिनांक–01.05.2017 से गवाही के लिए सात साल हो गए। प्रतिवादी प्रथम पक्ष सही मालिक से केता है। वादी को पूर्व में ही बहुत समय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है तथा वादी जानबूझकर वाद को लंबित रखने के उद्देश्य से उपरोक्त आवेदन दाखिल किया है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन खर्च के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में विवादयक गठन के पश्चात् वादी साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा था तथा दिनांक–27.02.2024 को न्यायालय द्वारा अंतिम समय देने के बाद भी वादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा तब दिनांक–28.03.2023 को न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य बन्द किया गया। वादी ने वर्तमान वाद केवाला दिनांक–17.06.2010 को नाजायज एवं शून्य घोषित करने हेतु लाया है जबकि वादी को अपने दस्तावेज के समर्थन में लंबे समय से साक्ष्य नहीं देना उनकी उपेक्षापूर्ण मंसा को दर्शाता है, परन्तु वादी को साक्ष्य देने हेतु एक अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन एवं उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक है। दनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 1000/– रुपये खर्च पर स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली तीन तिथियों के भीतर अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 19-08-2024 वास्ते पुनः वादी साक्ष्य देने हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।